

## आदेश

पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक जिला/इकाई में वापस किया जाता है :-

क्र०	पद/नाम	जिला/इकाई/वाहिनी
1.	पु०नि० रामजी सिंह	अ०अनु०वि०
2.	अ०नि० भोला प्रसाद सिंह	विशेष शाखा
3.	सिपाही / 279 अनोज कुमार महाराणा	बि०सै०पु०-10
4.	सिपाही / 199 अनील कुमार पाठक	बि०सै०पु०-10
5.	सिपाही / 349 अश्विनी कुमार	बि०सै०पु०-05
6.	सिपाही / 344 धर्मवीर कुमार सिंह	बि०सै०पु०-05
7.	सिपाही / 124 दिनेश कुमार यादव	बि०सै०पु०-10
8.	सिपाही / 216 मनीष यादव	बि०सै०पु०-10

सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का योगदान प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय)  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 657/426385 /र०का०

पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 30-5-19

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/विधि-व्यवस्था, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक(अ), विशेष शाखा/ पुलिस अधीक्षक(सी), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस- 5/10, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय)  
बिहार, पटना।